

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र.शासन
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

क्रमांक/ 1203 /73/आउशि/ब.अनु./21
प्रति,

भोपाल, दिनांक 8/9/2021

1. प्राचार्य/शिक्षाधिकारी,
संबंधित शासकीय अग्रणी महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।
2. प्राचार्य,
अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषय:- पांचवे वेतनमान के 20 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत वेतन भत्तों के एरियर्स की राशि आवंटन की स्वीकृति।

- संदर्भ:- 1. म.प्र.शासन, उ.शि.वि. का आदेश क्रमांक/एफ73-5/2014/38-2 दिनांक 30.9.19।
2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/2014/आउशि/ब.अनु./19 दिनांक 5.12.2019।
3. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/228/325/आउशि/अनु.ब./20 दिनांक 13.2.2020।

-----0-----

उपर्युक्त विषयान्तर्गत म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग एवं इस कार्यालय संदर्भित पत्र के अनुक्रम में महाविद्यालयों से प्राप्त पांचवे वेतनमान के दिनांक 1.4.2000 से 31.3.2002 तक 20 प्रतिशत एवं दिनांक 1.4.2002 से 31.12.2015 तक 50 प्रतिशत की राशि के मांग पत्र के अनुक्रम में संदर्भित पत्र दिनांक 13.2.2020 द्वारा आवंटित 70 प्रतिशत राशि के पश्चात शेष बची 30 प्रतिशत राशि के शिक्षाधिकारी के माध्यम से प्राप्त मांग पत्र के अनुक्रम में नीचे कॉलम-6 में उल्लेख अनुसार एरियर्स की शेष राशि का आवंटन स्वीकृत किया जाता है:-

सक्र.	महावि. का नाम एवं अधिकारी का नाम	पत्र क्र. व दिनांक	दिनांक 1.4.2000 से 31.12.2015 तक पांचवे वेतनमान के एरियर्स की कुल राशि	पूर्व में आवंटित/ भुगतान की गई राशि	शेष देय एवं आवंटित राशि	शास. अग्रणी महावि. का नाम एवं डीडीओ कोड
1	2	3	4	5	6	7
1	केशरवानी महाविद्यालय जबलपुर 640/9.8.21 श्री दिनेश चौबे, सेनि क्रीड़ा अधिकारी	4652 3.9.31 (अति. संचा. जबलपुर)	514822	360387	154435	शासकीय महाकौशल कला वाणिज्य महावि. जबलपुर 1803802002
योग					154435	

2. उपरोक्त कॉलम-6 अनुसार आवंटित राशि रुपये 1,54,435/- (रुपये एक लाख चौवन हजार चार सौ पैंतीस मात्र) का आहरण कॉलम-7 में उल्लेखित अग्रणी महाविद्यालय के डीडीओ कोड में बजट शीर्ष 044-2202-03-104-0103-3444-42-002 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में विकलनीय होगी।

3. शैक्षणिक अधिकारी को शत-प्रतिशत अनुदान भुगतान एवं महाविद्यालय के सम्पूर्ण स्टाफ के वेतन निर्धारण, सेवा पुस्तिका में वेतन नियमन की प्रविष्टियों के संबंध में शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि आहरण करने वाली राशि से संबंधित वेतनमान संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, ग्वालियर के अधीनस्थ संभागीय संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक म.प्र. द्वारा अनुमोदित हो।

Am

4. आवंटित राशि से केवल अनुदान हेतु शासन द्वारा स्वीकृत, अनुमोदित एवं मान्य पदों पर नियुक्तियों पर कार्यरत शिक्षको/कर्मचारियों को वेतन-भत्तों के एरियर्स के लिए देय राशि का ही आहरण किया जायेगा ।
5. उक्त आवंटन वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये स्वीकृत किया जा रहा है । समय-समय पर शासन द्वारा अनुदान राशि के संबंध में जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये ।
6. स्थानीय निधि संपरीक्षा म.प. से वित्तीय वर्ष 2020-2021 तक का आडिट होना सुनिश्चित करने के निर्देश है । पूर्व वर्षों में आडिट आपत्तियों का नियमानुसार निराकरण होना सुनिश्चित करावें ।
7. अशासकीय महाविद्यालयों द्वारा छात्रों से वसूल की जा रही शत-प्रतिशत शिक्षण शुल्क की राशि नियमानुसार संस्थागत निधि में जमा करायी जाना होगी ।
8. उक्त आवंटित राशि से संबंधित लेखे महालेखाकार/वित्त विभाग/स्थानीय निधि संपरीक्षा/उच्च शिक्षा विभाग के लेखा परीक्षण दलों के लिये इनके विवेकानुसार जांच हेतु खुले रहेंगे ।
9. जिन महाविद्यालयों को संस्था द्वारा उक्त एरियर्स का भुगतान अपने फण्ड से किया गया है। इस संस्था के लिखित प्रमाणपत्र पर प्रतिपूर्ति कराना सुनिश्चित करें ।
10. गत वर्ष 2020-21 में जारी की गई आवंटन राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र शिक्षा अधिकारी संबंधित महाविद्यालय से प्राप्त करने के उपरांत ही भुगतान/अग्रेषण की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे ।
11. किसी भी प्रकार के अनियमित भुगतान/व्यय की जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्य/संस्था की होगी ।



(चन्द्रशेखर वालिम्बे)

आयुक्त

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक 8/9/2021

पृ.क./ 1204 /73/आउशि/अनु.ब./21
प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, मान.मंत्री/राज्यमंत्री, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
4. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
5. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ।
6. संबंधित कोषालय/उपकोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
7. वि.क.अ.(आई.टी), कार्या.आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश ।



विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश